रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2012/माघ 20, 1933

No. 56] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2012/MAGHA 20, 1933

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 79(अ).—भारतीय विश्व कार्य परिषद् अधिनियम, 2001 (2001 का 29) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित उप-धारा 1 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को भारतीय विश्व कार्य परिषद्, महानिदेशक और अन्य अधिकारो और कर्मचारी (वेतन और भत्ते) नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से भारतीय विश्व कार्य परिषद अधिनियम, 2001 (2001 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "वेतन" से अभिप्रेत है किसी संबद्ध तारीख को स्वीकार्य वेतन, जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, मंहगाई भत्ता अथवा वेतन के रूप में समझे गए मंहगाई भत्ते का अंश शामिल है, परंतु किसी प्रकार का अन्य भत्ता, शुल्क अथवा मानदेय शामिल नहीं है;

(ग) "परिषद्" से भारतीय विश्व कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सेवा विनियम में विनिर्धारित किसी पद पर परिषद् में कार्यरत है;

(ङ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(च) "सेवा विनियम" से अधिनियम की धारा 26 के अधीन परिषद् द्वारा सेवा विषयों के संबंध मे बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(2) (क) इसमें प्रयुक्त किंतु इन नियमों में परिभाषित न किए गए शब्द और अभिव्यक्तिया, किंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अभिप्राय रखेंगे, जो उनके संबंध में अधिनियम में उन्हें प्रदान किया गया है;

(ख) "नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी" से परिषद् में किसी पद के संबंध में परिषद् का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "स्वीकृतिदाता प्राधिकारी" से परिषद् का महानिदेशक अभिप्रेत है।

3. पदों के ग्रेड और श्रेणियां.—(1) परिषद् के अधीन पदों को उनके वेतन बैंड अथवा वेतनमान के अनुसार सेवा विनियम से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तीन समूहों में विभक्त किया जाएगा ।

(2) स्वीकृतिदाता प्राधिकारी पद की किसी श्रेणी के संबंध में परिषद् के शासी निकाय के निर्देशों के अध्यधीन और विदेश मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से:

(क) उस श्रेणी में पदों की संख्या विनिर्धारण करेगा;

(ख) यह विनिर्धारण करेगा कि क्या उस श्रेणी में सृजित कोई पद अस्थायी अथवा स्थायी होगा;

(ग) वह अवधि विनिश्चित करेगा जिसके लिए कोई अस्थायी पद सृजित किया गया; और उस श्रेणी में किसी पद से संबद्ध किए जा सकने वाले कर्तव्यों का विनिर्धारण करेगा;

4. नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी.—परिषद् के अधीन भर्ती और सभी नियुक्तियां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी ।

5. नियुक्ति, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान और भत्ते आदि की निबंधन और शर्तें.—(1) परिषद् अपने शासी निकाय के माध्यम से अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन एवं भत्तों आदि और समय-समय पर उसके संशोधन का विनिर्धारण करेगा और परिषद् के अधीन पदों के लिए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान का विनिश्चय इस संबंध में परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों में किया जाएगा और ऐसे वेतन और भत्ते सदैव केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों या उनके आवधिक संशोधन के अनुरूप होगा, किंतु विदेश मंत्रालय और अन्य विभागों या संगठनों से विनियोजित प्रतिनियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते सदृश पदों, उन्हीं निबंधन और शर्तों के अधीन होंगे जैसे समय-समय पर मूल कार्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(2) परिषद् के सभी कर्मचारियों के लिए वेतन, विशेष वेतन, मानदेय, शुल्क, भत्तों आदि का विनियमन परिषद् द्वारा बनाए गए सेवा विनियमों में विनिश्चय किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

6. प्रकीर्ण.—सेवा की अवशेष शर्तें—

(1) कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित किसी विषय, जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, का विनिर्धारण परिषद् में वित्तीय सलाहकार की सहमति से इसके शासी निकाय के माध्यम से किया जाएगा, परंतु परिषद् के कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली कोई राहत सदृश निबंधन और शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की गयी राहत से अधिक नहीं होगी ।

(2) **शिथिल करने की शक्ति:**–जहां परिषद् की यह राय है कि ऐसा करना जरूरी या अपरिहार्य है, वह केन्द्रीय सरकार और वित्तीय सलाहकार के पूर्व अनुमोदन से आदेश द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इन नियमों के किसी प्रावधान को किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगा ।

(3) **संशय का निवारण.**— जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधानों के अनुप्रयोग को प्रभावी करने में कोई संशय उत्पन्न होता है, महानिदेशक विदेश मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार से उचित माध्यम से निर्णय प्राप्त करने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय प्राप्त कर सकेगा।

7. अवशिष्ट शक्तियां.— इन नियमों में विनिश्चय किए गए विषयों से संबधित अवशिष्ट शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास होंगी ।

[फा. सं. एफ (ii)12(29)2011]

शमा जैन, संयुक्त सचिव (आतंकवाद रोधी एवं नीति नियोजन)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2012

G.S.R. 79(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of Section 25 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indian Council of World Affairs; Director-General and other Officers and Employees (Salaries and Allowances) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001);

(b) "pay" means the pay admissible on the relevant date and includes special pay, personal pay, dearness pay or part of dearness allowance deemed as pay but does not include any allowance, fee or honorarium;

(c) "Council" means Indian Council of World Affairs;

(d) "employee" means any person serving the Council in any post specified in the Service Regulations;

(e) "Government" means the Central Government;

(f) "Service Regulations" means the regulations relating to service matters made by the Council under Section 26 of the Act;

(2) (a) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;

(b) "Appointing Authority" in relation to any post in the Council means the Director General of the Council.

(c) "Sanctioning Authority" means the Director General of the Council.

3. Grades and categories of Posts.—(1) The posts under the Council shall be divided according to their pay bands or pay scales into three Groups as specified in the schedule annexed to the Service Regulations.

(2) The Sanctioning Authority, in relation to any category of post, shall, subject to the direction of the Governing Body of the Council, and prior approval of the Central Government in the Ministry of External Affairs, shall :—

(a) determine the number of posts in that category;

(b) determine whether any post created in that category shall be temporary or permanent;

(c) specify the period of which a temporary post is created; and determine the duties as may be attached to any post in that category.

4. Appointing Authority.—Recruitment and all appointment under the Council shall be made by the appointing authority in accordance with the Service Regulations.

5. Terms and conditions of appointment, Pay Band and Grade Pay or Pay scale and Allowances etc.— (1) The Council, through its Governing Body, shall determine the terms and conditions of appointment and pay and allowances etc. of its employees or its revision from time to time and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale for the posts under the Council shall be as specified in the regulations made by the Council in this regard and such pay and allowances may not always correspond to pay and allowances of the Central Government employees or periodic revision thereof, however, for deputationists or officials deployed from the Ministry of External Affairs and other Departments or organisations, pay and allowances shall be equivalent to similar posts, under same terms and conditions, as notified by the parent office from time to time.

(2) Pay, Special Pay, Honorarium, Fee, Allowances etc. for all employees of the Council, shall be regulated in terms of provisions specified in the Service Regulations made by the Council.

6. Miscellaneous.—Residual conditions of service :—

(1) Any matter relating to the conditions of service of an employee, for which no provision is made in these rules, shall be determined in the Council through its Governing Body with concurrence of the Financial Adviser provided that any concession to be provided to the employees of the Council shall not exceed what is provided by the Central Government to its employees, under similar terms and conditions.

(2) **Power to relax.**—Where the Council is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, with the prior approval of the Central Government and Financial Advisor, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of its provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

(3) **Removal of doubts.**—Where any doubt arises in giving effect to the application of any of the provisions of these rules, the Director General may obtain the views of the Financial Adviser before seeking a decision through proper channel from the Central Government in the Ministry of External Affairs.

7. Residual Powers.—Residual powers relating to matters specified in these rules shall be with the Central Government

[F. No.F (ii)12(29)2011]

SHAMMA JAIN, Jt. Secy. (Counter Terrorism & Policy Planning)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.